न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/2015

1. रामकुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

—: बनाम :—

1. राजेन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

——अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी
बाबत निरस्त करने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री

उपस्थित :—

श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक —02.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2003 के विरूद्ध अपील संख्या 295/03 प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2007 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसे निरस्त करवाने एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने बाबत उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2007 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सम्मन अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। प्रार्थी को अपील का कोई सम्मन प्राप्त नही हुआ। अपील मे प्रार्थी को जो नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई, वह नोटिस राजेन्द्र, रामकुमार दोनो के नाम से संयुक्त नोटिस जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है। आदेश 5 नियम 11 सीपीसी के मुताबिक प्रत्येक पक्षकार को अलग अलग नोटिस जारी करना आवश्यक है। नोटिस मे तामील रिपोर्ट मे लिखा गया है कि सायल घर पर हाजिर नही मिला एक प्रति आबाद मकान पर गवाहो के सामने चस्पा की गई रिपोर्ट पेश है। इस रिपोर्ट मे यह नही लिखा गया है कि नोटिस किसके मकान पर चस्पा किया गया है क्योंकि राजेन्द्र व रामकुमार दोनो का संयुक्त नोटिस जारी किया गया है जबकि राजेन्द्र व रामकुमार के मकाल अलग अलग है नोटिस दोनो मे से किसके मकान पर चस्पा किया गया है रिपोर्ट मे दर्ज नही है। सवार ने नोटिस किसी व्यक्ति को लेने के लिए नही कहा तथा किसी ने लेने से इन्कार नही किया तो नोटिस मकान पर चस्पा नही किया जा सकता। नोटिस मकान पर चस्पा करने के लिए न्यायालय का आदेश होना चाहिए। न्यायालय ने नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश प्रदान नही किया। ऐसी स्थिति मे मकान पर नोटिस चस्पा नही किया जा सकता। नोटिस पर जिन गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये उनकी जाति व पूरा पता नोटिस पर दर्ज नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को अपील से संबंधित नोटिस प्राप्त नही हुये तथा नोटिस तामील की रिपोर्ट गलत दर्शाई गई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2003(2) पेज

1170 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस मे आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी को अपील का नोटिस दिनांक 21.01.06 को राजेन्द्र व रामकुमार का अलग अलग जारी किया गया जिस पर सवार की रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि सायलान घर पर नही मिला, तामील प्रति उसके पिता को दी गई रिपोर्ट पेश हुई। इसके पश्चात दिनांक 20.11.06 को पुनः नोटिस जारी किया गया जिस पर सवार की रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि सायलान घर पर हाजिर नही मिला एक प्रति आबाद मकान पर गवाहो के सामने चस्पा की गई। अपील का नोटिस प्रार्थी के पिता को दिया गया। जिससे प्रार्थी को उक्त अपील का ज्ञान होना साबित है। प्रार्थी को अपील प्रस्तुत होने का शुरू से ज्ञान था तथा प्रार्थना पत्र कतई अन्दर मियाद नही है एवं लगभग 1 वर्ष के बाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मे देरी को माफ करने का कोई सन्तोषजनक व उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज नही किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं आवेदन का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी को अपील का कोई सम्मन प्राप्त नही हुआ। अपील मे प्रार्थी को जो नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई, वह नोटिस राजेन्द्र, रामकुमार दोनो के नाम से संयुक्त नोटिस जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है। आदेश 5 नियम 11 सीपीसी के मुताबिक प्रत्येक पक्षकार को अलग अलग नोटिस जारी करना आवश्यक है। नोटिस मे तामील रिपोर्ट मे लिखा गया है कि सायल घर पर हाजिर नही मिला एक प्रति आबाद मकान पर गवाहो के सामने चस्पा की गई रिपोर्ट पेश है। इस रिपोर्ट मे यह नही लिखा गया है कि नोटिस किसके मकान पर चस्पा किया गया है क्योंकि राजेन्द्र व रामकुमार दोनो का संयुक्त नोटिस जारी किया गया है जबकि राजेन्द्र व रामकुमार के मकाल अलग अलग है नोटिस दोनो मे से किसके मकान पर चस्पा किया गया है रिपोर्ट मे दर्ज नही है। जवाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता के कथनानुसार कि प्रार्थी को अपील का नोटिस दिनांक 21.01.06 को राजेन्द्र व रामकुमार का अलग अलग जारी किया गया जिस पर सवार की रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि सायलान घर पर नही मिला, तामील प्रति उसके पिता को दी गई रिपोर्ट पेश हुई। इसके पश्चात दिनांक 20.11.06 को पुनः नोटिस जारी किया गया जिस पर सवार की रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि सायलान घर पर हाजिर नही मिला एक प्रति आबाद मकान पर गवाहो के सामने चस्पा की गई। अपील का नोटिस प्रार्थी के पिता को दिया गया। जिससे प्रार्थी को उक्त अपील का ज्ञान होना साबित है। प्रार्थी को अपील प्रस्तुत होने का शुरू से ज्ञान था तथा प्रार्थना पत्र कतई अन्दर मियाद नही है एवं लगभग 1 वर्ष के बाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मे देरी को माफ करने का कोई सन्तोषजनक व उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज नही किया है। चूंकि अपील से संबंधित नोटिस की प्रति दिनांक 21.01.06 को प्रार्थी के पिता को दी गई और उसके पश्चात दिनांक 20.11.06 को प्रार्थी रामकुमार एवं राजेन्द्र के नाम संयुक्त रूप नोटिस जारी किया जो सायलान घर पर नही मिलने के कारण मकान पर चस्पा किया गया परन्तु यह अंकित नही किया गया कि उक्त नोटिस किसके मकान पर चस्पा किया गया क्योंकि उक्त नोटिस दोनो के नाम संयुक्त रूप से जारी किया गया था। अपील का निस्तारण समस्त पक्षकार को साक्ष्य एवं

सुनवाई का अवसर दिया जाकर दस्तोवजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर किया जाना आपेक्षित होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय निर्णय को निरस्त किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ का एकपक्षीय निर्णय दिनांक 24.04.2007 निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पुनः बाजवे नम्बर पर ली जाती है। पत्रावली मूल अपील संख्या 295/2003 अनवानी स्टेट बनाम राजेन्द्र आदि के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़